तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0 डी0 वाद सं0 01/2013–14
मैसी पहाड़िन एवं 16 आना रैयत
बनाम
भीमा पहाड़िया (प्रधान) मौजा–महुआटोप
आदेश

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन पत्र को आवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षी मौजा प्रधान द्वारा 16 आना रैयतों से मनमानी किये जाने के कारण प्रधानी पद से हटाने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदिका के आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गयी एवं आवेदन पत्र में अंकित विन्दुओं की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, पतना को भेजा गया।

प्रस्तुत वाद की सुनवाई हेतु शिविर न्यायालय, पतना में रखा गया। उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा। आवेदिका का कहना है कि ग्राम प्रधान भीमा पहाड़िया को गलत तथ्यों के आधार पर नियुक्त किया गया है जो कि 16 आना रैयतों से हमेशा झगड़ा–झंझट करता रहता है और रैयतों को गाली गलौज करता है तथा रैयतों को घमकी देकर कहता है कि मैं पट्टाधारी रैयत हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गॉव के फलदार पेड़ जैसे सरीफा, केला आदि को काट कर फेक दिया है और गॉव के रैयतों के जमीन पर जो महुआ का पेड़ है उनसे महुआ भी नहीं चुनने देता है। पेड़ की सुखी लकड़ियॉ एवं गिरे हुए पत्तो को भी चुनने से रोकता है जो कि संथाल परगना की धारा 17 टिनेवासी एक्ट का सरासर उल्लंघन है। ग्रामीण रैयत चंदा पहाड़िया महुआ पेड़ का महुआ पिछले साल चुन रहा था तो प्रधान अपने समर्थकों के साथ लाठी डंडा दिखाकर भगा दिया। उसका छोटा भाई सुरजा पहाड़िया एवं अन्य छोटे भाई भी रैयतों को गाली गलौज करते है और मौजा के जाहेर स्थान का भी देखभाल ठीक से नहीं करते। उस स्थान पर लगे सखुआ, मुर्गा, महुआ के पेड़ों का डाल काट कर बेचता है और ग्रामीण वासियों के हित में कोई भी कार्य नहीं करते है।

अतएव श्रीमान से प्रार्थना है कि इस आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए वर्तमान प्रधान के तानाशाही एवं मनमानी रवैया से 16 आना रैयतों को न्यायहित में वर्तमान प्रधान भीमा पहाड़िया को बरखास्त करने की अनुरोध किया गया है।

विपक्षी स्वयं उपस्थित होकर अपने समर्थन में कहा है कि आवेदिका द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है। मैं 16 आना रैयतो से किसी भी प्रकार की झगड़ा झंझट तथा गाली गलौज नहीं करता हूँ और रैयतगणों को लगान भी समय पर जमा लिया करता हूँ।

अंचल अधिकारी, पतना ने अपने पत्र सं0–284/रा0, दिनांक 27.09.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा महुआटोप का बहाल प्रधान भीमा पहाड़िया पिता मैसा पहाड़िया सा0 महुआटोप का निवासी है तथा मौजा महुआटोप के आवेदिका मैसी पहाड़िन एवं 16 आना रैयत द्वारा आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान भीमा पहाड़िया द्वारा मनमाने ढंग से काम करता है और किसी भी रैयत से सही

Scanned with CamScanner

तरीके से बात–विचार नहीं करता है और न ही रैयत को लगान रसीद देता है। मौजा महुआटोप के बहाल प्रधान को अंचल कार्यालय से जब भी कोई बैठक की सूचना दी जाती है तो बैठक में उपस्थित नहीं होता है। अतएव जॉच प्रतिवेदन उचित कार्रवाई हेतु समर्पित किया है।

विपक्षी द्वारा निम्नलिखित सूचीबद्ध कागजात दाखिल किया है–

1. पी0 ए0 वाद सं0–07/07–08 के प्रधानीपट्टा की छाया प्रति।
2. लगान रसीद सन् 2009–10 से 2015–16 तक की छाया प्रति दाखिल किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं दाखिल कागजातों तथा अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं–

1. मौजा महुआ टोप के विधिवत नियुक्त प्रधान भीमा पहाड़िया है जिन्हें प्रधानी पट्टा प्राप्त है।
2. विपक्षी भीमा पहाड़िया(प्रधान) के द्वारा सरकार को प्रत्येक वर्ष लगान देकर लगान रसीद प्राप्त करते है जिसकी छाया प्रति दाखिल है।
3. आवेदकों ने विपक्षी भीमा पहाड़िया (प्रधान) के द्वारा लगान नहीं लेने, 16 आना रैयत से झगड़ा, झंझट करने तथा फलकर का उपभोग करने से मना करने को लेकर है जिसके कारण आवेदकों ने इस वाद को लाये है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया जाता है कि आवेदको के द्वारा लाये गये समस्या का समाधान इस वाद के माध्यम से नहीं हो सकता है। अतएव विपक्षी भीमा पहाड़िया (प्रधान) को निदेश दिया जाता है कि 16 आना रैयतों से कुशल व्यवहार रखें तथा विधिसम्मत कार्यों का सम्पादन करें। यदि उनके अनियमित और गैर विधिसम्मत व्यवहार तथा कार्य प्रभावित प्रमाणित होंगे तो उनका प्रधानी पट्टा रद्द कर दी जाएगी। इस निदेश के साथ बाद की कार्यवाही समाप्त (Drop)किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/9/16

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

28/9/16

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner